

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०- 03 वाराणसी।

परिवाद संख्या- /

उत्कर्ष स्मॉल फाइनैस बैंक लि० बनाम पूनम निगम

अ०धारा- 138 N.I. Act.

थाना-दशाश्वमेध, जिला-वाराणसी।

दिनांक:- 12.08.2023

पत्रावली NI Act से संबंधित लोक अदालत में पेश हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

परिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 257 द०प्र०स० प्रस्तुत किया। परिवादी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पर सुना।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा यह परिवाद धारा 138 एन आई एक्ट के संबंध में प्रस्तुत किया है। अभियुक्त को तलब किया जा चुका है। इस सतर पर परिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 257 द प्र स प्रस्तुत किया है। क्योंकि परिवादी को चेक धनराशि प्राप्त हो गई है एवं वह यह परिवाद वापस लेना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 257 सीआरपीसी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 257 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही पश्चात दाखिल दफ्तर हो।

(वर्तिका शुभानन्द)

JO. Code -UP 2598

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कोर्ट सं०- 03 वाराणसी।